अनिल क्षेत्रपाल, न्यायाधीश के समक्ष ।

मीना यादव- याचिकाकर्ता

बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य- *प्रतिवादी*

2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2829

नवम्बर 9/2020

(अ) ***भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 226-रिट याचिका-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-सुनवाई का अवसर-पेट्रोल पंप/रिटेल आउटलेट/ईंधन स्टेशन का आवंटन-पात्रता-आशय पत्र-रद्द करना-को चुनौती-नियमित और खुदरा दुकानों के लिए डीलरों का चयन-डीलर के स्वामित्व वाली साइट-लॉट का ड्रा-याचिकाकर्ता सफल रहा-प्रारंभिक सुरक्षा और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए-मूल्यांकन समिति ने 06.03.2019 को निरीक्षण के लिए साइट का दौरा किया-बाद में, याचिकाकर्ता को इस कारण से अयोग्य घोषित किया गया था कि साइट एनएचएआई मानदंडों को पूरा नहीं करती थी क्योंकि प्रस्तावित स्थल से 68 मीटर की दूरी पर एक माध्यिका कट मौजूद था - इस आधार पर चुनौती कि प्रस्तावित स्थल के 100 मीटर के भीतर कोई अधिकृत मीडियन कट मौजूद नहीं था, और याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता मीडियन कट बनाने के लिए जिम्मेदार था - यदि मीडियन कट अनधिकृत है, तो इसे आवेदन पर विचार करते समय अस्तित्वहीन या अनदेखा माना जाना चाहिए - निगम को याचिकाकर्ता को इसे हटाने का अवसर देना चाहिए था - समिति के सदस्यों से याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने की भी उम्मीद की गई थी - रिट याचिका तदनुसार अनुमति दी गई थी, याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने वाले संचार को रद्द कर दिया गया था।***

माना जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, विज्ञापन की शर्तें बाध्यकारी हैं और यदि माध्यिका में अधिकृत कट/ब्रेक/गैप है, तो उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित साइट को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या माध्यिका में कट/गैप/ब्रेक अधिकृत है या नहीं और क्या किसी और द्वारा बनाई गई अनधिकृत गैप/कट/ब्रेक के कारण, आधिकारिक प्रतिवादी के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित साइट को अस्वीकार करना उचित था और

वह भी उसे अपना रुख समझाने का अवसर दिए बिना। वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि माध्यिका में कट/ब्रेक/गैप अधिकृत नहीं है। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने पहले ही लिखित में दिया है कि चौक से 1 किमी की दूरी तक मीडियन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार, इन परिस्थितियों में, सवाल यह है कि क्या माध्यिका में अनधिकृत अंतर/कट/विराम के कथित अस्तित्व के परिणामस्वरूप उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था या नहीं। यह किसी भी प्रतिवादी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता माध्यिका में कट/गैप/ब्रेक बनाने के लिए जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय के विचार में, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता के पक्ष में होना चाहिए। ईंधन आउटलेट स्थापित करने का निर्णय लेने से पहले, साइट का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेल कंपनी हमेशा एक उपयुक्त साइट की तलाश करती है ताकि इसकी बिक्री को अधिकतम किया जा सके। तथापि, तेल कंपनी मंत्रालय के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन करने के लिए बाध्य है। एक बार जब निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि माध्यिका में कट/अंतर/विराम अनधिकृत है, तो इसे मामले के तथ्यों में अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए या आवेदन पर विचार करते समय अनदेखा किया जाना चाहिए। निगम को इस तथ्य का पता चलने के बाद कि मीडियन में कट/ब्रेक/गैप अनधिकृत है, याचिकाकर्ता को इसे हटाने का अवसर देना चाहिए था। इस स्थिति में, स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने वाली तेल कंपनी द्वारा पारित आदेश गलत है।

(पैरा 18)

आगे आयोजित किया गया, कि जैसा भी हो सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को 17.08.2019 के संचार के माध्यम से उसे अयोग्य घोषित करने से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर कभी नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने 19.09.2019 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए, याचिकाकर्ता को यह तर्क देने से रोका नहीं जा सकता है कि रिपोर्ट गलत है। भूमि मूल्यांकन समिति द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही से, यह स्पष्ट है कि न तो याचिकाकर्ता का ध्यान मंझले में कथित अंतर/ब्रेक/कट की ओर आकर्षित किया गया था और न ही उस पर उसका स्पष्टीकरण मांगा गया था। समिति के सदस्यों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मंझला कट/गैप की स्थिति जांचने का जहमत नहीं उठाया। भूमि मूल्यांकन समिति के सदस्यों ने याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने से पहले, कम से कम उसके रुख को सुनने के लिए सुनवाई का अवसर देने की उम्मीद की थी। उनसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तथ्यों की पुष्टि करने की भी अपेक्षा की गई थी।

वर्तमान मामले में, समिति के सदस्यों ने पूर्वोक्त प्रक्रिया को बाय-पास/कोल्ड कॅल्डर करने का विकल्प चुना जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार है। उपरोक्त चर्चा निगम के लिए उपस्थित विद्वान वकील के तर्क का भी उत्तर देती है।

(पैरा 20)

(आ) ***भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 226-रिट याचिका-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-पेट्रोल पंप/रिटेल आउटलेट/ईंधन स्टेशन का आवंटन-आशय पत्र-सुनवाई का समय दिए बिना रद्द करना-वैकल्पिक उपाय-शिकायत निवारण मंच की उपलब्धता-आयोजित, न्यायालय ने प्रभावी उपाय उपलब्ध होने पर अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार न करने के लिए स्व-अधिरोपित नियम विकसित किया है-न्यायालय ने स्व-अधिरोपित नियम के अपवाद हैं, जब सांविधिक प्राधिकारी ने प्रश्नगत अधिनियमन के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं किया है - या, मौलिक न्यायिक प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए - या, निरसित उपबंधों को लागू करने का सहारा लिया है - या, जब आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है - प्रभावी वैकल्पिक उपचार का अभाव भी रिट याचिका पर विचार करने का एक आधार है - तथापि, जब कानून द्वारा एक सांविधिक मंच बनाया जाता है तो रिट न्यायालय से रिट याचिका पर विचार करने की अपेक्षा नहीं की जाती है - तत्काल मामले में शिकायत निवारण मंच वैधानिक नहीं है - और स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है - रिट याचिका को तदनुसार अनुमति दी गई थी, सुनवाई का अवसर दिए बिना याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने वाले संचार को रद्द कर दिया गया था।***

माना जाता है कि प्रतिवादी नंबर 3 के लिए विद्वान वकील का दूसरा तर्क वैकल्पिक उपाय के संदर्भ में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी रिट याचिका पर विचार करने से पहले, जो एक असाधारण उपाय है, न्यायालय ने प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर याचिकाओं पर विचार नहीं करने का एक स्व-लागू नियम विकसित किया है। न्यायालय पूर्वोक्त स्व-लगाए गए नियम के कुछ अपवादों को भी मान्यता देते रहे हैं, अर्थात जहां वैधानिक प्राधिकरण ने प्रश्नगत अधिनियमन के प्रावधानों के अनुसार या न्यायिक प्रक्रियाओं की मौलिक प्रक्रिया की अवहेलना में कार्य नहीं किया है या उन प्रावधानों को लागू करने का सहारा लिया है जो निरस्त कर दिए गए हैं या जब प्राकृतिक न्याय के

सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में एक आदेश पारित किया गया है। यहां तक कि प्रभावी वैकल्पिक उपाय की अनुपस्थिति भी रिट याचिका पर विचार करने के आधारों में से एक है। हालांकि, जब भी शिकायत के निवारण के लिए कानून द्वारा एक वैधानिक मंच बनाया जाता है, तो रिट अदालत से वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए रिट याचिका पर विचार नहीं करने की उम्मीद की जाती है।

(पैरा 21)

याचिकाकर्ता के वकील *संदीप वर्मा*।

रमन शर्मा, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के लिए वकील।

अमित झांजी, प्रतिवादी नंबर 3 के वकील।

अनिल क्षेत्रपाल, न्यायाधीश.

(एक) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित न्याय की दृष्टि में यह प्रावधान है कि "राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा"। संविधान की बुनियादी संरचना में यह प्रावधान है कि अमीर और गरीब सहित किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसी ही संजोई हुई दृष्टि के साथ संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग III में सूचीबद्ध किया गया है जो "राज्य" को परिभाषित करने वाले अनुच्छेद 12 से शुरू होता है, जिसमें न केवल केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार शामिल हैं, बल्कि सरकारों द्वारा नियंत्रित सभी स्थानीय या अन्य संस्थानों को भी शामिल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लोक सेवकों या अधिकारियों को राज्य के बड़े पैमाने पर वितरण करते समय अत्यधिक विवेक का आनंद मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मनुष्यों द्वारा संचालित किया जाता है जो अचूक नहीं हैं, हालांकि जब लिए गए निर्णय पूरी तरह से मनमाने और अविवेकपूर्ण पाए जाते हैं, तो न्यायालय कुछ टिप्पणियां करने के लिए मजबूर होता है। निर्णय लेने के अधिकार और शक्ति के साथ सही ढंग से निर्णय लेने की एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब तक संस्थाएं ऐसे व्यक्ति(यों) को, जिन्हें ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनके स्पष्ट रूप से मनमाने और अविवेकपूर्ण निर्णयों के लिए जवाबदेह नहीं ठहरातीं, तब तक उन पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है। वर्तमान मामले में, यह पाया गया है कि लिया गया आक्षेपित निर्णय पूर्वोक्त श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता को यहां एक राजनेता की पत्नी के खिलाफ खड़ा किया गया है जो राज्य सरकार में मंत्री थे। यह न्यायालय प्रतिवादी-तेल कंपनी को उपयुक्त कदम उठाने के लिए छोड़

देता है।

(दो) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से, रिट याचिकाकर्ता उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए प्रार्थना करता है, जो 17.08.2019 के आक्षेपित संचार को रद्द करता है, जिसमें उसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (इसके बाद "निगम" के रूप में संदर्भित) के तहत रिटेल आउटलेट डीलरशिप (ईंधन स्टेशन) के आवंटन के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

(तीन) इस न्यायालय के विचार में, निम्नलिखित प्रश्नों पर निर्णय की आवश्यकता है: -

(एक) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए ईंधन स्टेशन के आवंटन के आशय पत्र को रद्द करना उचित है क्योंकि इसका कारण अवैध और अनधिकृत होने के अलावा सफल आवेदक पर नहीं है?

(दो) क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित आशय पत्र को रद्द करने का आदेश टिकाऊ है?

(चार) प्रतिवादी नंबर 1-कॉर्पोरेशन ने 25.11.2018 को एक विज्ञापन जारी किया जिसमें इसके द्वारा पहचाने गए विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इस मामले में, पहचाने गए स्थान रेवाड़ी नारनौल रोड एनएच -11 पर गोपाल देव चौक से 1 किमी के भीतर है। याचिकाकर्ता ने डीसी/बी श्रेणी के तहत 10,000/- रुपये के अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किया। यह श्रेणी दर्शाती है कि यह एक डीलर के स्वामित्व वाली साइट है। यह अनुमत्य है कि भूमि/साइट आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में हो सकती है जैसा कि नियमित और ग्रामीण खुदरा दुकानों के लिए डीलरों के चयन की विवरणिका में निर्दिष्ट किया गया है। आवेदन में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा दिया गया था। 30.01.2019 को लॉट का ड्रॉ निकाला गया और याचिकाकर्ता भाग्यशाली निकला। इस संबंध में याचिकाकर्ता को 30.01.2019 (अनुलग्नक पी 3 और पी 4) को दो पत्र भेजे गए थे, जिसमें उन्हें प्रारंभिक सुरक्षा के लिए 50,000 / - की राशि भेजने और निर्दिष्ट दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ लॉट के ड्रॉ के परिणाम के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें ईंधन स्टेशन की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व/पट्टे के अधिकारों के दस्तावेजों की

एक प्रति और आयामों के साथ प्रस्तावित भूमि का एक स्केच प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता ने निर्धारित अवधि के भीतर निर्देशित आवश्यकताओं का पालन किया। दिनांक 27-02-2019 के संचार के माध्यम से, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि भूमि मूल्यांकन समिति साइट का दौरा करेगी और 06.03.2019 को एक ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रस्तावित साइट का निरीक्षण करेगी। तीन सदस्यीय भूमि मूल्यांकन समिति ने आकर स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद, 17.08.2019 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उसे निम्नलिखित कारणों से अयोग्य पाया गया है:

> "2.आपको सूचित किया जाता है कि भूमि मूल्यांकन समिति ने 06-Mar-2019 को आपके द्वारा प्रस्तावित साइट का दौरा किया और पाया कि यह नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है:
>
> प्रस्तावित भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है क्योंकि प्रस्तावित स्थल से रेवाड़ी की ओर 68 मीटर की दूरी पर मीडियन कट मौजूद है।

(पाँच) याचिकाकर्ता ने 19.09.2019 को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जिसमें विशेष रूप से संचार में उल्लेख किया गया था कि उसे प्रतिनिधित्व की तारीख से केवल एक सप्ताह पहले ई-मेल के माध्यम से संचार प्राप्त हुआ था। बैठक में बताया गया कि 06.03.2019 को या उसके बाद, प्रस्तावित स्थल के 100 मीटर के भीतर कोई मीडियन कट मौजूद नहीं है और इस तथ्य को पुन: सर्वेक्षण करके फिर से सत्यापित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी और इसलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दो आवेदन दायर किए। एक आवेदन प्रतिवादी निगम को प्रस्तुत किया गया था, जबकि दूसरा आवेदन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था। 16.12.2019 को, निगम ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि प्रतिवादी नंबर 3 एक सफल उम्मीदवार है, हालांकि, उसके पिता/पति के नाम और सफल उम्मीदवार के पूरे पते के बारे में जानकारी को 2005 अधिनियम की धारा 8.1 (डी) के तहत छूट का दावा करते हुए रोक दिया गया था क्योंकि वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य और प्रकटीकरण से संबंधित जानकारी प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगी। याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तुत आवेदन परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेवाड़ी को भेजा गया था, जो बदले में हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड, रेवाड़ी को भेज दिया गया था। 10.01.2020 को, याचिकाकर्ता को हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास

निगम लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया था कि रेवाड़ी नारनौल रोड एनएच -11 पर गोपाल देव चौक से 1 किमी की दूरी के भीतर कोई अधिकृत मीडियन कट नहीं है और सड़क बिछाने का पूरा काम पूरा हो चुका है, इसलिए पूरे प्रबंधन को एडीबी/एनएचएआई को हस्तांतरित कर दिया गया है। उसी का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार निकाला गया है:

> इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, रेवाड़ी नारनौल रोड एनएच-2 जिला रेवाड़ी पर गोपाल देव चौक से 1 किमी के भीतर कोई अधिकृत मीडियन कट प्रदान नहीं किया गया है। चूंकि सड़क का कार्य पूरा हो चुका है और इसे एडीबी/एनएचएआई को हस्तांतरित कर दिया गया है, इसलिए उनके कार्यालय से और सूचना ली जाए।

(छः)याचिकाकर्ता ने 29.01.2020 को वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिस पर 03.02.2020 को सुनवाई हुई, जब प्रस्ताव की सूचना और रोक के संबंध में नोटिस जारी किया गया था।

(सात) दो अलग-अलग लिखित बयान दर्ज किए गए हैं। प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया है जबकि प्रतिवादी नंबर 3 ने एक अलग लिखित बयान दायर किया है। 04.11.2020 को, पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों की विस्तृत दलीलें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनी गईं। मौखिक प्रस्तुतियों के समापन के बाद विद्वान वकीलों को 48 घंटे की अवधि के भीतर तर्कों का सारांश और सार दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। प्रतिवादी 1 और 2 और प्रतिवादी नंबर 3 का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने लिखित प्रस्तुतियाँ अग्रेषित की हैं।

(आठ) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित साइट रेवाड़ी नारनौल रोड, एनएच -11 पर स्थित गोपाल देव चौक से रेवाड़ी की ओर 380 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 एक दोहरी कैरिज वे है जिसमें सड़क को अलग करने वाली मध्य पट्टी है। इस तरह के राजमार्ग को विभाजित राजमार्ग भी कहा जाता है, जिसमें दो अलग-अलग पक्की सतहें होती हैं जिनके बीच में एक मध्य या भौतिक विभाजक या अवरोध होता है। इस तरह के माध्यिका का उपयोग विपरीत दिशा में जाने वाले यातायात को अलग करने के लिए किया जाता है। मध्य पट्टी सड़क के किसी प्रकार का भौतिक विभाजक है। रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करते समय आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्यांश यह है कि "68 मीटर पर एक औसत कट मौजूद है"। माध्यिका कट एक दोहरी कैरिज तरीके से एक ब्रेक/गैप या मीडियन की अनुपस्थिति है। यह कट/ब्रेक/गैप आम तौर पर

एक दिशा में जाने वाले वाहनों को यू-टर्न लेने या वाहनों को विपरीत दिशाओं में ले जाने के लिए पक्की सतह के दूसरे हिस्से में पार करने की अनुमति देने के लिए रखा जाता है।

(नौ) 25.11.2018 को, तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने नियमित और ग्रामीण खुदरा दुकानों के लिए डीलरों के चयन के लिए एक विवरणिका जारी की खंड 14 में, चयन की प्रक्रिया को चित्रित किया गया है। वर्तमान मामले में खंड 14 (एच) प्रासंगिक है, जिसे निम्नानुसार निकाला गया है:

> "एच भूमि मूल्यांकन:
>
> संबंधित डिवीजनल / क्षेत्रीय / क्षेत्र कार्यालय साइट मूल्यांकन के लिए एलईसी द्वारा दौरे के दिन से कम से कम 10 दिन पहले ईमेल / एसएमएस के माध्यम से चयनित उम्मीदवार को सूचित करेगा। चयनित आवेदक की कोई प्रतिक्रिया नहीं / अनुपलब्धता के मामले में, उम्मीदवारी को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से चयनित उम्मीदवार को सूचित करते हुए रद्द कर दिया जाएगा।
>
> प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन विज्ञापित क्षेत्र में होने और आरओ-बैठक मानदंडों के विकास के लिए उपयुक्त भूमि का पता लगाने के लिए किया जाएगा। जिन मापदंडों के तहत भूमि का मूल्यांकन भूमि मूल्यांकन समिति द्वारा उपयुक्तता के लिए किया जाएगा, वे हैं: -
>
> क) विज्ञापित क्षेत्र/खंड में भूमि
>
> ख) आवश्यकता के अनुसार भूमि आयाम
>
> ग) भूमि एनएचएआई मानदंडों को पूरा करती है (एनएच पर साइटों के लिए)
>
> घ) भूमि में कोई एचटी लाइन (>11 केवीए) क्रॉसिंग नहीं है।
>
> उपरोक्त किसी भी पैरामीटर को पूरा नहीं करने वाली भूमि पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
>
> नोट: प्रस्तावित भूमि में विज्ञापन में निर्दिष्ट न्यूनतम फ्रंटेज और क्षेत्र होना चाहिए। कम से कम एक स्थान पर फ्रंटेज के लंबवत न्यूनतम गहराई विज्ञापन में निर्दिष्ट के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए।
>
> यदि प्रस्तावित भूमि उपयुक्त पाई जाती है, तो एलईसी चयनित उम्मीदवार के एफवीसी को पूरा करने के लिए

डिवीजनल/क्षेत्रीय/क्षेत्र प्रमुख को सिफारिश प्रस्तुत करेगा

यदि भूमि उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो चयनित उम्मीदवार को उसकी अयोग्यता के बारे में सूचित किया जाएगा और शेष आवेदकों के साथ चयन प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। हालांकि, समूह 3 आवेदकों के साथ चयन के लिए उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा और सूचना उम्मीदवार को भेजी जाएगी।

(दस) निगम का मामला है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है कि नए ईंधन स्टेशनों के प्रस्ताव पर विचार करते समय, निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। खंड 4.5.3 के तहत, यह निम्नानुसार प्रदान किया गया है: -

"4.5.3. ईंधन स्टेशन के प्रत्येक तरफ 300 मीटर की दूरी के भीतर विभाजित कैरिजवे पर कोई मंझला अंतर नहीं होगा। यह न्यूनतम दूरी यानी 300 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकटतम कैरिजवे की केंद्र रेखा के समानांतर दिशा में, जैसा कि लागू हो, ईंधन स्टेशन के मध्य अंतर की शुरुआत और पहुंच/निकास सड़क के निकटतम स्पर्शरेखा बिंदु के बीच मापा जाएगा।

यह शर्त ऐसे माध्यिका अंतराल के लिए लागू होगी, जो न तो किसी चौराहे या चौराहे की सड़कों के सामने और न ही निकटता में स्थित हैं। चौराहों की निकटता में सड़क के मध्य अंतराल या माध्यिका अंतराल को प्रतिच्छेद करने के लिए, पैरा 4.5.1 और पैरा 4.5.2 के तहत निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।

(ग्यारह) वर्तमान मामले में, आवश्यकता यह है कि 300 मीटर की दूरी तक मीडियन में कोई अंतर/ब्रेक/कट नहीं होना चाहिए ताकि यातायात की बुनाई/मिश्रण के लिए सुरक्षित लंबाई प्रदान की जा सके।

(बारह) याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्थल से गोपाल देव चौक की ओर 68 मीटर की दूरी पर मीडियन में गैप/ब्रेक/कट है। यहां यह ध्यान दिया जाएगा कि इस बीच लॉट का एक नया ड्रा आयोजित किया गया है और प्रतिवादी नंबर 3 को सफल घोषित किया गया है। पार्टियों के ज्ञापन के अनुसार, वह एक पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार के मंत्री की पत्नी होने का दावा करती है।

(तेरह) आधिकारिक प्रतिवादियों ने रिट याचिका का इस आधार पर विरोध किया है कि जिस दिन भूमि मूल्यांकन समिति ने साइट का दौरा किया, उस दिन माध्यिका में एक अंतर/ब्रेक/कट था। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 3 हर मायने में शक्तिशाली है, इसलिए, उसे अयोग्य घोषित करने का बहाना बनाने के लिए रातोंरात एक अवैध मध्यस्थ बनाया गया था।

(चौदह) इन परिस्थितियों में, यह रिट याचिका निर्णय के लिए आई है। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रोशर के अनुसार, प्राप्त आवेदनों को तीन समूहों में विभाजित किया जाता है। समूह-I उन भू-स्वामियों/पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास ईंधन स्टेशन/पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किए जा रहे स्थल का ठोस प्रस्ताव है, जबकि समूह संख्या II उन आवेदकों/उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास साइट को पट्टे पर लेने का प्रस्ताव है और समूह-III यह दर्शाता है कि उम्मीदवार साइट की पेशकश नहीं करता है। सरकारी प्रतिवादियों द्वारा समूह सं 10 में दायर लिखित बयान के अनुसार, वर्ष 2005-06 के दौरान सरकारी प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए लिखित विवरण के अनुसार, वर्ष 2005-06 के दौरान सरकारी प्रतिवादियों मैं, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 सहित चार आवेदन प्राप्त हुए थे। समूह संख्या II में केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ था। आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित बयान के साथ संलग्न अनुलग्नक R1, भूमि मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट है। साइट को मंजूरी नहीं देने का कारण पहले ही निकाला जा चुका है। इस रिपोर्ट पर तीन सदस्यीय समिति ने 15.03.2019 को हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध R2 याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि एक मोटा लेआउट प्लान तैयार किया गया है। यह दिखाया गया है कि प्रश्न स्थल से गोपाल देव चौक तक यात्रा करने के बाद 68 मीटर की दूरी पर मध्य में एक अंतर/कट/विराम होता है। इस दस्तावेज़ पर 15.03.2019 को भूमि मूल्यांकन समिति के 3 सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

(पंद्रह) जैसा कि ऊपर ध्यान में दिया गया है, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड ने यह सूचित किया है कि 1 किमी के भीतर कोई प्राधिकृत मीडियन कट/गैप/ब्रेक नहीं है। रेवाड़ी, नारनौल एनएच-11 पर गोपाल देव चौक से। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि माध्यिका में अंतराल/टूट/कटौती अधिकृत नहीं है। इन परिस्थितियों में, यह सवाल उठता है कि क्या याचिकाकर्ता को माध्यिका में अवैध और अनधिकृत कट/गैप/ब्रेक के कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

(सोलह) श्री रमन शर्मा, अधिवक्ता, विद्वान वकील ने निगम की ओर से

उपस्थित होते हुए इस आधार पर अपनी कार्रवाई का बचाव किया है कि यात्रा के दिन, मंझला में अंतर/विराम/कटौती अस्तित्व में थी और इसलिए, भूमि मूल्यांकन समिति के पास उसे अयोग्य घोषित करने की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जानकारी कि मंझला में कोई अधिकृत अंतर/कटौती नहीं है, केवल जनवरी, 2020 के महीने में आपूर्ति की गई है और इसलिए, अब उसके आवेदन पर केवल समूह संख्या III में विचार किया जा सकता है।

(सत्रह) दूसरी ओर, श्री अमित झांजी, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 3 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विज्ञापन के नियम और शर्तें बाध्यकारी हैं और इसलिए, एक बार माध्यिका में कट/गैप/ब्रेक होने के बाद, याचिकाकर्ता ने सही ढंग से अयोग्य घोषित किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास ब्रोशर के खंड 18 के तहत शिकायत दर्ज करने का एक प्रभावी उपाय है। आगे यह तर्क दिया गया है कि बाद में जारी किए गए दिशानिर्देशों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। वह अपनी दलीलों के समर्थन में सजीश बाबू के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों पर भरोसा करते ***हैं।*** *बनाम एनके संतोष* ***और अन्य सचिव और क्यूरेटर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल***[1] ***बनाम हावड़ा गणतांत्रिक नागरिक समिति*** *और अन्य और आयकर आयुक्त और अन्य* ***बनाम छबील दास अग्रवाल बनाम*** छबील दास अग्रवाल[3]

चर्चा:-

(अठारह) इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञापन की शर्तें बाध्यकारी हैं और यदि माध्यिका में अधिकृत कट/ब्रेक/गैप है, तो उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित साइट को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या माध्यिका में कट/गैप/ब्रेक अधिकृत है या नहीं और क्या किसी और द्वारा बनाई गई अनधिकृत गैप/कट/ब्रेक के कारण, आधिकारिक प्रतिवादी के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित साइट को अस्वीकार करना उचित था और वह भी उसे अपना रुख समझाने का अवसर दिए बिना। वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि माध्यिका में कट/ब्रेक/गैप अधिकृत नहीं है। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने पहले ही लिखित में दिया है कि चौक से 1 किमी की दूरी तक मीडियन का कोई प्रावधान नहीं है।

---

[1](2012) 12 एससीसी 106

[2](2010) 3 एससीसी 732

[3](2014) 1 एससीसी 603

इस प्रकार, इन परिस्थितियों में, सवाल यह है कि क्या माध्यिका में अनधिकृत अंतर/कट/विराम के कथित अस्तित्व के परिणामस्वरूप उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था या नहीं। यह किसी भी प्रतिवादी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता माध्यिका में कट/गैप/ब्रेक बनाने के लिए जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय के विचार में, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता के पक्ष में होना चाहिए। ईंधन आउटलेट स्थापित करने का निर्णय लेने से पहले, साइट का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेल कंपनी हमेशा एक उपयुक्त साइट की तलाश करती है ताकि इसकी बिक्री को अधिकतम किया जा सके। तथापि, तेल कंपनी मंत्रालय के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन करने के लिए बाध्य है। एक बार जब निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि माध्यिका में कट/अंतर/विराम अनधिकृत है, तो इसे मामले के तथ्यों में अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए या आवेदन पर विचार करते समय अनदेखा किया जाना चाहिए। निगम को इस तथ्य का पता चलने के बाद कि मीडियन में कट/ब्रेक/गैप अनधिकृत है, याचिकाकर्ता को इसे हटाने का अवसर देना चाहिए था। इस स्थिति में, स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने वाली तेल कंपनी द्वारा पारित आदेश गलत है।

(उन्नीस) निजी प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अनुबंध R1 और R2 पर भरोसा किया है कि एक बार याचिकाकर्ता ने भूमि मूल्यांकन समिति के दौरे के समय दस्तावेज़ अनुलग्नक R2 पर हस्ताक्षर किए हैं और उसने उक्त समिति के सदस्यों को कभी सूचित नहीं किया कि माध्यिका में अंतर/कट/विराम अनधिकृत है, इसलिए, याचिकाकर्ता को इस याचिका को लेने से रोका जाता है। इस न्यायालय ने दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की है। अनुलग्नक R1 भूमि मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2019 है। इस रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता पर हस्ताक्षर करने का आरोप नहीं है। अब हम अनुबंध R2 पर आते हैं। यह आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि का रफ लेआउट स्केच है। यह आवेदक द्वारा एक निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षरित है। यह दस्तावेज पहले से मुद्रित प्रपत्र पर है। यह उत्तरदाताओं का मामला है कि भूमि मूल्यांकन समिति ने 06.03.2019 को एसआईटी के स्थल निरीक्षण के लिए दौरा किया। अनुलग्नक R2 इसकी तिथि के रूप में 15.03.2019 को वहन करता है। समिति के सभी तीन सदस्यों ने 15.03.2019 को उसी पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि 15.03.2019 को याचिकाकर्ता को कार्यालय में बुलाया गया था या साइट का फिर से निरीक्षण किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 06.03.2019 को, आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि के लेआउट स्केच पर आवेदक से हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद, भूमि मूल्यांकन समिति द्वारा भरा गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता को अपना रुख

समझाने का कोई मौका नहीं मिला। याचिकाकर्ता को पहली बार सूचित किया गया था कि उसे दिनांक 17.08.2019 के संचार के माध्यम से यानी साइट के दौरे की तारीख से पांच महीने से अधिक की अवधि के बाद अयोग्य घोषित किया गया है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.09.2019 के अपने अभ्यावेदन में दावा किया है कि उसे एक सप्ताह पहले ही ई-मेल के माध्यम से यह सूचना मिली है।

(बीस)जैसा भी हो सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को 17.08.2019 के संचार के माध्यम से उसे अयोग्य घोषित करने से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर कभी नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने 19.09.2019 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए, याचिकाकर्ता को यह तर्क देने से नहीं रोका जा सकता है कि रिपोर्ट गलत है। भूमि मूल्यांकन समिति द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही से, यह स्पष्ट है कि न तो याचिकाकर्ता का ध्यान मंझले में कथित अंतर/ब्रेक/कट की ओर आकर्षित किया गया था और न ही उस पर उसका स्पष्टीकरण मांगा गया था। समिति के सदस्यों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मंझला कट/गैप की स्थिति जांचने का जहमत नहीं उठाया। भूमि मूल्यांकन समिति के सदस्यों ने याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने से पहले, कम से कम उसके रुख को सुनने के लिए सुनवाई का अवसर देने की उम्मीद की थी। उनसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तथ्यों की पुष्टि करने की भी अपेक्षा की गई थी। वर्तमान मामले में, समिति के सदस्यों ने पूर्वोक्त प्रक्रिया को बाय-पास/कोल्ड कॅल्डर करने का विकल्प चुना जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार है। उपरोक्त चर्चा निगम के लिए उपस्थित विद्वान वकील के तर्क का भी उत्तर देती है।

(इक्कीस)प्रतिवादी नंबर 3 के लिए विद्वान वकील का दूसरा तर्क वैकल्पिक उपाय के संदर्भ में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी रिट याचिका पर विचार करने से पहले, जो एक असाधारण उपाय है, न्यायालय ने प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर याचिकाओं पर विचार नहीं करने का एक स्व-लागू नियम विकसित किया है। न्यायालय पूर्वोक्त स्व-अधिरोपित नियम के कुछ अपवादों को भी मान्यता देते रहे हैं, अर्थात् जहां सांविधिक प्राधिकारी ने प्रश्नगत अधिनियमन के प्रावधानों के अनुसार या न्यायिक प्रक्रियाओं की मौलिक प्रक्रिया की अवहेलना में कार्य नहीं किया है या उन प्रावधानों को लागू करने का सहारा लिया है जो निरस्त कर दिए गए हैं या जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में कोई आदेश पारित किया गया है। यहां तक कि प्रभावी वैकल्पिक उपाय की अनुपस्थिति भी रिट याचिका पर विचार करने के आधारों में से एक है। हालांकि, जब भी शिकायत के निवारण के लिए कानून

द्वारा एक वैधानिक मंच बनाया जाता है, तो रिट अदालत से वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए रिट याचिका पर विचार नहीं करने की उम्मीद की जाती है।

(बाईस) वर्तमान मामले में, शिकायत निवारण मंच वैधानिक नहीं है। यह प्रावधान किया गया है कि 5,000/- रुपये के शुल्क के साथ शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि शिकायत परिणामों की घोषणा से 30 दिनों की अवधि के भीतर ही दर्ज की जा सकती है। इस न्यायालय के विचार में, इस रिट याचिका का निपटारा केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, खासकर जब रिट याचिका पर विचार किया गया हो, लिखित बयान दायर किए गए हों और अंतिम दलीलें सुनी गई हों। यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। आधिकारिक उत्तरदाताओं ने इस आधार पर रिट याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति नहीं जताई है कि याचिकाकर्ता के पास एक वैकल्पिक उपाय है। इसलिए, ***आयकर आयुक्त और अन्य*** *बनाम* ***छबील दास अग्रवाल*** *(सुप्रा)* के फैसले पर प्रतिवादी नंबर 3 के विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता लागू नहीं होती है क्योंकि पूर्वोक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में गलती की, खासकर जब पीड़ित व्यक्ति के लिए वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध थे। ये मामले आयकर अधिनियम से उत्पन्न हो रहे थे। न्यायालय ने देखा कि अधिनियम वैधानिक अपील दायर करने का प्रावधान करता है और न्यायालय ने पाया कि रिट याचिका यह दावा करने में विफल रही कि ऐसा वैकल्पिक उपाय या तो अप्रभावी या गैर-प्रभावोत्पादक है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय लागू नहीं होता है।

(तेईस) प्रतिवादी नंबर 3 के लिए विद्वान वकील की अगली आपत्ति पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा 23.09.2019 को डीलर चयन दिशानिर्देशों में संशोधन के बाद के दिशानिर्देशों के संबंध में है। यह प्रदान किया गया है कि एक सफल उम्मीदवार को 100 दिनों का अवसर प्रदान किया जाएगा जिसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है। यहां यह ध्यान दिया जाएगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, इस परिपत्र में ऐसे उम्मीदवार को, जिसे ड्रॉ में सफल घोषित किया गया है, लेकिन बाद में खारिज कर दिया गया है, अभ्यावेदन देने और इंगित की गई कमी, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने का अवसर प्रदान करता है। किसी भी मामले में, यह न्यायालय उस विवाद में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं करता है क्योंकि बाद

के निर्देश लागू किए जा रहे हैं।

(चौबीस) अदालत ने संजीश बाबू (सुप्रा) और सचिव और क्यूरेटर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (सुप्रा) में 2 अन्य निर्णयों की भी जांच की है। दोनों निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक बार विशेषज्ञ समिति निर्णय ले लेती है, तो सामान्य परिस्थितियों में अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके आधिपत्य के प्रति सर्वोच्च सम्मान के साथ, जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। अनुपात के निर्णय के रूप में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि अदालतों को हस्तक्षेप करने से वंचित किया जाता है, भले ही रिपोर्ट स्पष्ट रूप से मनमानी और विकृत हो।

(पच्चीस) इस स्तर पर, यह नोटिस करना उचित है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बहुत बलपूर्वक प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नंबर 3 के स्वामित्व वाली साइट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित साइट के विपरीत है और इसलिए उसी अयोग्यता से ग्रस्त है, हालांकि, इस संबंध में दलीलों के अभाव में, यह अदालत पूर्वोक्त पहलू पर जाने से इनकार करती है।

(छब्बीस) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांक 17.08.2019 के पत्र को रद्द किया जाता है। प्रतिवादी-निगम को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र रखा जाएगा।

त्रिभुवन ढैया

<u>अस्वीकरण :</u>

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिकअधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

अंबाला,हरियाणा